

12/02/26

प्राची व उनके वकील उपस्थित। मूल वाद का
निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण
होन से प्रार्थना पत्र अलग से चलाए जाने
का कोई मौचित्त नहीं होने से मूल वाद
के साथ-साथ उक्त रथगन प्रार्थना पत्र
को भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली कैसल शुमार हांकर हाथिले
दफतर हो एवं नंबर से कम हो।



[Signature]

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन